न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 31 / 2022

1 शिशुपाल पुत्र श्री रामदेवाराम जाति जाट उम्र 67 साल निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मोहनसिंह पुत्र रामदेवाराम उम्र 58 साल
2 प्रभुदयाल पुत्र रामदेवाराम उम्र 52 साल
जाति जाट निवासीगण कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उनवानी मुकदमा शिशुपाल बनाम मोहनसिंह वगै. मु.न. 128 / 2021
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
खिलाफ निर्णय / आदेश दिनांक 10.03.2022

उपस्थिति :

1. श्री रोहिताश कुल्हरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद भाम्बू, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 6/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 128/2021 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 322, 321, 984/321, 983/321 वाके ग्राम कसेरू का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 215 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 321 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 984/321 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.3400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 983/321 रकबा 0.3400 हैक्टेयर है। उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पिता स्व. रामदेवाराम की खरीद शुदा भूमि है जो आबादी के नजदीक है और उसे खेड़े के नाम से भी जाना जाता है। उक्त खेड़े में स्व. रामदेवाराम ने 1971 में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बी.मार्क से दर्शित स्थान पर मकानात बना लिये थे उक्त भूमि को अपील में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। रामदेवाराम के जीवनकाल में ही करीब 25—26 साल पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा हो गया था (रामदेवाराम की दोनों पुत्रियों बिमला व परमेश्वरी ने मौखिक हकत्याग व दिनांक 23.03.2021 को दोनों बहिनों ने अपने तीनों भाईयों के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग भी कर दिया है) बाद विभाजन अपीलान्ट के हिस्से में वादग्रस्त भूमि का पश्चिम 1/3 हिस्सा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भोमियाजी के मन्दिर को छोड़कर व अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शों में सी. स्थान की भूमि आई, जिसके पूर्व में सटकर 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हिस्से में (नजरी नक्शे में सी. स्थान की भूमि को छोड़कर) आया उसके पूर्व में सटकर 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हिस्से में आया है। इसी अनुसार काश्त व काबिज है जो संलग्न नक्शे में दर्शित किया गया है। संलग्न नक्शे में ए. स्थान से दर्शित मकान रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 प्रभु का बी. स्थान से दर्शित मकान जो स्व. रामदेवाराम ने बनाये थे। आपसी बंटवारे में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के सरकारी सेवा में नहीं होने के कारण उक्त मकान रेस्पेडेन्ट नम्बर 1 के हिस्से में आया और उस समय यह तय हुआ था कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को 20,000–20000 रूपये अदा करेगा, हालांकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त राशि आज दिनांक तक भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को अदा नहीं की है सी. स्थान से दर्शित मकान अपीलान्ट का है जो अपीलान्ट ने अपने स्वयं के खर्चे से बनवाये है तथा डी. स्थान पर भी सन 2001 में अपीलान्ट ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है और उस पर भी अपीलान्ट परिवार सहित आबाद है। उसी प्रकार ई. स्थान पर भोमियाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है व संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित 8 फीट चौड़ा रास्ता जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के मकानों तक जाता है तथा इसी रास्ते से 4 फीट चौड़ी पगडण्डी पश्चिम की ओर भोमिया जी महाराज के तक जाती है जिसे अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 इसी अनुसार अपने अपने मकानात बनाकर काबिज व आबाद है तथा अपने अपने विद्युत व पानी के कनेक्शन ले रखे है तथा मुकन्दगढ़ से कसेरू जाने वाली सड़क से अपने अपने मकानों तक 8 फीट चौड़ा रास्ता आपसी सहमति से कायम कर रखा है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के मकानों तक आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है और भोमिया जी महाराज में मंदिर तक आने जाने के लिए यही पगडण्डी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 2 सहित समस्त ग्रामवासी इसी पगडण्डी का उपयोग उपभोग करते है इस बाबत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के मध्य आपस में लिखित बंटवारा भी हो चुका है। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के हस्ताक्षर है जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध स्टोपुल है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पिता स्व. रामदेवाराम की खरीदशुदा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपरोक्त भूमि का प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत दिनांक 23.06. 2016 को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया गया जिसमें राजस्व कर्मचारियों व हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से बिना मौके की जांच किये व उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को मुगालते में रखते हुये अपीलान्ट के हसताक्षर कर खसरा नम्बर 222 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 काबिज है उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हिस्से में दर्ज कर दी, जबकि उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का पुश्तैनी मकान जो उसके हिस्से में आया है और उसमें वह परिवार सहित आबाद है तथा उक्त पुश्तैनी मकान के पश्चिम दिशा में पशुओं के लिये बाड़ा बना रखा है। अपील के साथ संलग्न नक्शे में सी. मार्क से दर्शित स्थान जिस पर अपीलान्ट अपने पुख्ता मकानात बनाकर काबिज व आबाद है उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हिस्से में दर्ज कर दी इस गलत विभाजन व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने से अपीलान्ट के हक व अधिकारों पर क्लाउड आ गया है इसलिये उपरोक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर कब्जा काश्त व निवास के आधार पर मौके की जांच कर पक्षकारान के हित संबंधी सम्पूर्ण ध्यान रखते हुये पुनः विभाजन किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया था। अपीलान्ट का प्राईमा फेसी केश है और विचारण न्यायालय द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र खारिज किया है यदि आवेदक के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होती है तो अपीलान्ट को आर्थिक व मानसिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 215 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 321 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 984/321 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.3400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 983/321 रकबा 0.3400 हैक्टेयर है में निर्माण कार्य नहीं करें, रहन बय नहीं करें आने जाने से नहीं रोके मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि आवेदक द्वारा असाधारण रूप से पूर्व में अपील विचाराधीन रहते हुए एक दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का व उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का पेश किया है। जबकि आवेदक अपील के साथ भी उक्त अनुतोष का निवेदन संबंधित न्यायालय से कर सकता था। अपीलांट द्वारा पूर्व से लंबित प्रकरण में अनुतोष की कार्यवाही नहीं कर नये सिरे से वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनी चाही। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन व विश्लेषण करते हुए विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा असाधारण रूप से पूर्व में अपील विचाराधीन रहते हुए एक दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का व उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का पेश किया है। जबकि आवेदक अपील के साथ भी उक्त अनुतोष का निवेदन संबंधित न्यायालय से कर सकता था। अपीलांट द्वारा पूर्व से लंबित प्रकरण में अनुतोष की कार्यवाही नहीं कर नये सिरे से वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनी चाही। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन व विश्लेषण करते हुए विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झनूं

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर